



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12112021-231045
CG-DL-E-12112021-231045

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4328]
No. 4328]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 11, 2021/कार्तिक 20, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 11, 2021/KARTIKA 20, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2021

का.आ. 4693(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 705 (अ) तारीख 29.01.2019 तथा 2410 (अ) तारीख 13.05.2021 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 06.02.2019 तथा 18.06.2021 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा त्रिपुरा राज्य में पानीसागर – अगरतला प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के मध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन विद्युत के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइने बिछाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला : उत्तर त्रिपुरा

राज्य : त्रिपुरा

सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पानीसागर	जलेबासा	पेकुछरा_001	01	00	05	17
			02	00	01	44
			03	00	03	73
			29	00	00	20
			889	00	04	55
			888	00	11	36
			872	00	16	87
			885	00	03	87
			884	00	00	20
			876	00	06	96
			874	00	00	20
			1235	00	10	36
			1236	00	08	13
			1239	00	05	27
			1248	00	19	12
			1218	00	32	44
			1262	00	17	18
			1261	00	16	63
			1277	00	65	98
			1304	00	03	55
			1308	02	28	53
पानीसागर	पानीसागर	पानीसागर_049	2672	00	01	24

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2822	00	00	88
			2823	00	07	76
			2824	00	02	18
			2825	00	02	59
			9019	00	03	65
			2826	00	00	69
			2827	00	04	58
			2828	00	04	61
			7669	00	00	20
			2829	00	04	13
			2836	00	00	40
			2837	00	00	63
			2842	00	04	45
			2846	00	01	24
			2843	00	01	25
			2845	00	02	72
			2844	00	01	71
			2861	00	00	23
			2860	00	02	56
			2859	00	04	06
			2847	00	00	23
			2848	00	00	20
			2849	00	04	51
			2850	00	05	74
			2851	00	00	98
			2852	00	01	60
			8959	00	01	86
			3883	00	00	83
			3885	00	00	52
			3884	00	07	25
			3886	00	03	10
			3887	00	04	25
			3888	00	03	84
			3889	00	02	51
			3956	00	04	34
			3955	00	13	45

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			3957	00	02	98
			3959	00	05	30
			8531	00	00	20
			3960	00	03	36
			3961	00	03	87
			4414	00	04	23
			4413	00	07	76
			4415	00	03	15
			4423	00	03	17
			4422	00	04	02
			4421	00	03	65
			4427	00	00	65
			4420	00	03	26
			4418	00	11	80
			4435	00	04	64
			4434	00	02	25
			4437	00	01	79
			4436	00	02	68
			4438	00	05	67
			4461	00	03	34
			4463	00	05	70
			4462	00	05	18
			7050	00	11	81
			7051	00	00	56
			7052	00	06	15
			7056	00	03	41
			7055	00	39	24
			7066	00	11	04
			7065	00	13	81
			7069	00	07	91
			7068	00	01	71
			7467	00	01	06
			7078	00	03	24
			7079	00	05	92
			7077	00	00	58
			7148	00	02	70

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			6978	00	00	91
			8472	00	05	19
			7149	00	01	37
			7153	00	00	20
			7151	00	07	16
			7571	00	01	26
			7573	00	02	94
			7572	00	04	83
			8091	00	28	76
			8092	00	40	50
			8089	00	10	03
			8072	00	00	65
			8079	00	01	54

[फा. सं. एल-14014/149/2021-जीपी-II (ई-40246)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th November, 2021

S.O. 4693(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No. 705(E) dated 29.01.2019 and 2410(E) dated 13.05.2021, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated 06.02.2019 and 18.06.2021, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through Panisagar - Agartala Gas Pipeline in the state of Tripura by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL), free from all encumbrances.

SCHEDULE

District: North Tripura

State : Tripura

Circle	Mouza	Name of Village	Dag No.	Area		
				Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Panisagar	Jalebasa	Pekuchhara _001	01	00	05	17
			02	00	01	44
			03	00	03	73
			29	00	00	20
			889	00	04	55
			888	00	11	36
			872	00	16	87
			885	00	03	87
			884	00	00	20
			876	00	06	96
			874	00	00	20
			1235	00	10	36
			1236	00	08	13
			1239	00	05	27
			1248	00	19	12
			1218	00	32	44
			1262	00	17	18
			1261	00	16	63
			1277	00	65	98
			1304	00	03	55
			1308	02	28	53
Panisagar	Panisagar	Panisagar_049	2672	00	01	24
			2822	00	00	88
			2823	00	07	76
			2824	00	02	18
			2825	00	02	59
			9019	00	03	65
			2826	00	00	69
			2827	00	04	58
			2828	00	04	61
			7669	00	00	20
			2829	00	04	13
			2836	00	00	40
			2837	00	00	63
			2842	00	04	45
			2846	00	01	24
			2843	00	01	25
			2845	00	02	72
			2844	00	01	71
			2861	00	00	23
			2860	00	02	56
			2859	00	04	06
			2847	00	00	23
			2848	00	00	20
			2849	00	04	51
			2850	00	05	74
			2851	00	00	98
			2852	00	01	60
			8959	00	01	86
			3883	00	00	83
			3885	00	00	52
			3884	00	07	25
			3886	00	03	10
			3887	00	04	25
			3888	00	03	84

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			3889	00	02	51
			3956	00	04	34
			3955	00	13	45
			3957	00	02	98
			3959	00	05	30
			8531	00	00	20
			3960	00	03	36
			3961	00	03	87
			4414	00	04	23
			4413	00	07	76
			4415	00	03	15
			4423	00	03	17
			4422	00	04	02
			4421	00	03	65
			4427	00	00	65
			4420	00	03	26
			4418	00	11	80
			4435	00	04	64
			4434	00	02	25
			4437	00	01	79
			4436	00	02	68
			4438	00	05	67
			4461	00	03	34
			4463	00	05	70
			4462	00	05	18
			7050	00	11	81
			7051	00	00	56
			7052	00	06	15
			7056	00	03	41
			7055	00	39	24
			7066	00	11	04
			7065	00	13	81
			7069	00	07	91
			7068	00	01	71
			7467	00	01	06
			7078	00	03	24
			7079	00	05	92
			7077	00	00	58
			7148	00	02	70
			6978	00	00	91
			8472	00	05	19
			7149	00	01	37
			7153	00	00	20
			7151	00	07	16
			7571	00	01	26
			7573	00	02	94
			7572	00	04	83
			8091	00	28	76
			8092	00	40	50
			8089	00	10	03
			8072	00	00	65
			8079	00	01	54

[F. No. L-14014/149/2021-GP - II (E-40246)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.